दिनांक 03.07.2024
प्रेस विज्ञप्ति 03/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद

- **50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 02.07.2024 को क्राइम ब्रान्च कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जी0डी0ए0 ग्राउण्ड टीला पाईप लाइन रोड थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त सोनू को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना लोनी बॉर्डर पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सोनू निवासी बी–218 महामाया कुंज सेवा धाम थाना लोनी बॉर्डर, गाजियाबाद मूल निवासी बीधुपुरा थाना बडपुरा जनपद इटावा।

जनपद प्रतापगढ़/थाना लालगंज

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 03.07.2024 को थाना लालगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर संगम चौराहा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त नितिन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो जनपद अयोध्या के थाना तारून पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद अयोध्या स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना लालगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—नितिन निवासी हैदरगंज थाना हैदरगंज जनपद अयोध्या।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना सिविल लाइन

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 02.07.2024 को थाना सिविल लाइन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जानसठ पुल के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त शहजाद को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध मा0 न्यायालय द्वारा वारण्ट निर्गत किया था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शहजाद निवासी नई आबादी साऊथ खालापार, मुजफ्फरनगर।

जनपद सीतापुर/थाना कोतवाली नगर

- **10—10 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 03.07.2024 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम बभनपुरवा थाना कोतवाली देहात से पुरस्कार घोषित 02 अभियुक्तों 1—सुरेन्द्र 2—संजय को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त हिस्ट्रीशीटर अपराधी हैं, जो थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10–10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त संजय के विरूद्ध जनपद सीतापुर के थाना कोतवाली नगर पर हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, चोरी के लगभग एक दर्जन अभियोग व अभियुक्त सुरेन्द्र के विरूद्ध जनपद सीतापुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी आदि के 16 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुरेन्द्र निवासी बम्भनपुरवा थाना कोतवाली देहात जनपद सीतापुर।

2–संजय निवासी बम्भनपुरवा थाना कोतवाली देहात जनपद सीतापुर।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना खालापार

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटनाओं का अनावरण**
- **चोरी के भारी मात्रा में सोने–चॉदी के आभूषण**
- **14 हजार 900 रूपये नगद**
- **06 मोबाइल फोन**
- **01 मोटर साइकिल**
- **03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 02.07.2024 को थाना खालापार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर काली नदी पुल के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ

कार्यवाही में अभियुक्त 1—मुर्शरफ 2—अंसार 3—नूर मोहम्मद घायल हो गये, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के भारी मात्रा में सोने—चॉदी के आभूषण, 14 हजार 900 रूपये नगद, 06 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल, 03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त नूर मोहम्मद के विरूद्ध जनपद बरेली, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, छत्तीसगढ़, तेलंगाना प्रान्त के विभिन्न थानों पर चोरी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 35 अभियोग, अभियुक्त अंसार के विरूद्ध जनपद झॉसी, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, राजस्थान के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग व अभियुक्त मुर्शरफ के विरूद्ध चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना खालापार पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मुर्शरफ निवासी चिड़ियापुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

2—अंसार निवासी निचरौली थाना सिविल लाइन दतिया जनपद दतिया, म0प्र0।

3—नूर निवासी ग्राम बुराहनदीनपुर थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर।

बरामदगी

1—चोरी के भारी मात्रा में सोने—चॉदी के आभूषण।

2—14 हजार 900 रूपये नगद।

3—06 मोबाइल फोन।

4—01 मोटर साइकिल।

5—03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद गोण्डा/थाना धानेपुर

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 55 हजार 590 रूपये नगद**
- **चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 02/03.07.2024 को थाना धानेपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर समया माता मन्दिर खेवण्डा के पास से 04 अभियुक्तों 1–रोशन लाल 2–ननगोड़े उर्फ ननकऊ 3–बब्बू 4–शिवबहादुर को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 55 हजार 590 रूपये नगद, चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 07.06.2024 को थाना धानेपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना धानेपुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त रोशन लाल के विरूद्ध जनपद बहराइच, बस्ती के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 17 अभियोग, अभियुक्त ननगौड़े उर्फ ननकऊ के विरूद्ध जनपद बहराइच, श्रावस्ती के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 16 अभियोग एवं अभियुक्त बब्बू के विरूद्ध जनपद बहराइच के विभिन्न थानो में चोरी, आबकारी एक्ट आदि के अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना धानेपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रोशन लाल निवासी देवानपुरवा थाना विश्वेशरगंज जनपद बहराइच।

2—ननगोड़े उर्फ ननकऊ निवासी अंरकापुर लोनियनपुरवा थाना पयागपुर जनपद बहराइच।

3—बब्बू निवासी ववया रूकनापुर थाना पयागपुर जनपद बहराइच।

4—शिवबहादुर निवासी अंरकापुर लोनियनपुरवा थाना पयागपुर जनपद बहराइच।

बरामदगी

1—चोरी के 55 हजार 590 रूपये नगद।

2—चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण।

3—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

जनपद चन्दौली/थाना चन्दौली

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **05 अवैध पिस्टल, 05 जीवित कारतूस**
- **01 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 02.07.2024 को थाना चन्दौली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अवैध शस्त्र की तस्करी कर रहे अभियुक्त राजू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 05 अवैध पिस्टल, 05 जीवित कारतूस, 01 मोबाइल फोन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना चन्दौली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राजू निवासी अमहर थाना बड़ेसर जनपद गाजीपुर।

बरामदगी

1—05 अवैध पिस्टल, 05 जीवित कारतूस।

2—01 मोबाइल फोन आदि।

जनपद रामपुर/थाना सिविल लाइन

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 06 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 02.07.2024 को थाना सिविल लाइन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर आश्रम पद्धति स्कूल के पास से अभियुक्त अरसलान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 06 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अरसलान निवासी छोटा घोसीपुरा थाना पटवई जनपद रामपुर।

बरामदगी

1–चोरी की 06 मोटर साइकिल आदि।

ए0एन0टी0एफ0 थाना मेरठ/जनपद शामली

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 56 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 281 ग्राम अवैध स्मैक व 368 ग्राम कट**
- **01 मोबाइल फोन**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 02.07.2024 की रात्रि ए0एन0टी0एफ0 थाना मेरठ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर करनाल शामली रोड गुर्जरपुर कट थाना झिंझाना जनपद शामली से अभियुक्त अमन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 56 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 281 ग्राम अवैध स्मैक व 368 ग्राम कट, 01 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना झिंझाना जनपद शामली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अमन निवासी ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी

1–लगभग 56 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 281 ग्राम अवैध स्मैक व 368 ग्राम कट।

2–01 मोबाइल फोन।

3–01 मोटर साइकिल।

जनपद हापुड़/थाना गढ़मुक्तेश्वर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 15 लाख रूपये कीमत के 01 कुन्तल अवैध गांजा**
- **तस्करी में प्रयुक्त 01 कार बरामद**

दिनांक 03.07.2024 को थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दौताई नहर पुलिया के पास से 02 अभियुक्तों 1–बोबी 2–अनुज उर्फ भोला को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 15 लाख रूपये कीमत के 01 कुन्तल अवैध गांजा, तस्करी में प्रयुक्त 01 कार बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना गढ़मुक्तेश्वर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–बोबी निवासी ग्राम मोहम्मदपुर थाना दौराला जनपद मेरठ।

2–अनुज उर्फ भोला निवासी ग्राम दतियांना थाना छपार जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1–लगभग 15 लाख रूपये कीमत के 01 कुन्तल अवैध गांजा।

2–तस्करी में प्रयुक्त 01 कार।

- **<u>जनपद अलीगढ़/थाना सासनीगेट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अलीगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अलीगढ़ द्वारा थाना सासनीगेट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/323/324/504 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–राजू उर्फ रियाज 2–अरमान 3–सलमान 4–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद अलीगढ़/थाना अतरौली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अलीगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अलीगढ़ द्वारा थाना अतरौली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त दीपू को 20 वर्ष के कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद मुजफ्फरनगर/थाना रतनपुरी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 17 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना रतनपुरी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त जाबिद उर्फ जावेद को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 17 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद अलीगढ़/थाना सासनीगेट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 65 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अलीगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अलीगढ़ द्वारा थाना सासनीगेट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त आसिफ को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 65 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद सीतापुर/थाना रामकोट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना रामकोट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/363/366 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त राजू को 07 वर्ष के कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।